

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

84/2011
08.04.2011

सुरेश, मुकेश श्रीमति लाली बेवा राजेश, श्री जमनालाल, रोशन राकेश आदि तह0
देवली जिला-टोंक

..... प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री अजय कुमार जोशी,अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित
(2) श्री रामधन सेनी, श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 9-12-2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में अवाप्तशुदा भूमि ख0नं0 475 ग्राम भरनी तहसील टोंक 96 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा निर्धारण किया गया है। जबकि प्रार्थी की भूमि एन0एच-12 पर स्थित भूमि में मकान, बाड़े आदि बने होने से मुआवजा वर्तमान डीएलसी दर से कम दिया गया है प्रार्थीगण का सम्पत्ति का मौके पर मौजूद निर्माण/संरचना उसकी वास्तविक उपयोगिता एवं वर्तमान बाजार कीमत के अनुसार व संलग्न नक्शे के अनुसार राशि का निर्धारण करवाया जाकर मुआवजा राशि दिलवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड प्रति 1451/2009 दिनांक 7-7-2010 तलब की गई। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 475 में 96 वर्गमीटर ग्राम भरनी तह0 टोंक में अवाप्त की गई है। भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत अवाप्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई

- 746 -



आर्बिट्रेटर N.H.-12

(जिला कलेक्टर)

टोंक (राज.)

आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मै0 अजीत सर्वे एण्ड कन्सल्टेंट्स प्रा0 लि0 जयपुर से सम्पत्ति का मूल्यांकन व सर्वे करवाया जाकर मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म गैर मुमकिन आबादी नहरी एजस्व रिकार्ड में अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या- 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब/लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड दिनांक 1451/2009 दिनांक 7-7-2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 475/1 अवाप्त रकबा 96 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन आबादी का डी. एल.सी. दर से ग्राम भरनी का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा सभी के अलग-अलग मकान बने होना तथा पशु बांधने के लिए अलग-अलग बाड़े बने होना बता कर अधिक मुआवजे का भुगतान चाहता है। निर्माण/संरचाना के सम्बन्ध में मै0 अजीत सर्वे एण्ड कन्सल्टेंट्स प्रा0 लि0 जयपुर से सम्पत्ति का मूल्यांकन व सर्वे करवाया जाकर मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके आधार पर अधिक मुआवजा निर्धारण किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
 आरबीटेटर एन.एच.-12
 आरबीटेटर N.H.-12
 (जिला कलेक्टर)
 टोंक
 टोंक (राज.)